

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 12 अक्टूबर 2025, समय 18:10 (10 मिनट))

मुख्य समाचार:-

1. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूलों से प्रवेश और परीक्षा शुल्क लेने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस अपनाने का आग्रह किया।
2. हरियाणा मंत्रिमंडल ने हाउसिंग बोर्ड संशोधन विधेयक के प्रारूप और हरियाणा जान विश्वास अध्यादेश के प्रावधानों में संशोधन को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
3. हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्राम शामलात भूमि नियम 1964 में संशोधन को स्वीकृति दी।
4. जींद के जुलाना उप-मंडल के गाँव सिरसा खेड़ी में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। - सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा की आई पी एस अधिकारी पूरण कुमार आत्महत्या मामले में न्याय होगा।
5. हरियाणा में आज पोलियो की बूँदें पिलाई गई।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों से प्रवेश और परीक्षा शुल्क एकत्र करने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस-यूपीआई अपनाने का आग्रह किया है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण और अभिभावकों व छात्रों के लिए सुविधा बढ़ाना है।

राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति जैसी स्वायत्त संस्थाओं को पत्र लिखा है। इस पत्र में, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूलों में वित्तीय लेनदेन को सुव्यवस्थित करने के लिए यूपीआई, मोबाइल वॉलेट और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने पर जोर दिया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम विधायी, नीतिगत और संस्थागत सुधारों के माध्यम से 'जीवन और स्कूली शिक्षा में आसानी' को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने से कई लाभ होने की उम्मीद है, जिनमें अधिक सुविधा, पारदर्शिता और अभिभावकों के लिए स्कूल जाए बिना दूर से भुगतान करने की क्षमता शामिल है।

मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि नकद भुगतान से डिजिटल भुगतान में बदलाव से स्कूल प्रशासन का आधुनिकीकरण होगा और 2047 तक 'विकसित भारत' - एक नागरिक-केंद्रित, डिजिटल रूप से उन्नत राष्ट्र - के सरकार के लक्ष्य को बल मिलेगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप और हरियाणा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अध्यादेश, 2025 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

हरियाणा हाउसिंग बोर्ड विधेयक में संशोधन का उद्देश्य हरियाणा आवासीय बोर्ड का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ विलय करना है।

इस का मुख्य उद्देश्य शहरी विकास और आवास संबंधी कार्यों को सुव्यवस्थित करना, प्रशासनिक दोहराव को समाप्त करना तथा नागरिकों को सेवाओं की आपूर्ति में दक्षता बढ़ाना है।

हरियाणा जन विश्वास अध्यादेश, 2025 में संशोधन भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में अनुपालन बोझ को कम करने और छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

भारत सरकार द्वारा 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा जारी परामर्श के अनुसरण में, हरियाणा ने राज्य स्तर पर भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपने कानूनों की व्यापक समीक्षा की है।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्राम शामलात भूमि नियम, 1964 में संशोधन को मंजूरी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई।

संशोधन के अनुसार, यह प्रावधान किया गया है कि खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि में से 4 प्रतिशत भूमि 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाएगी।

इसके अलावा ग्राम शामलात भूमि नियम, 1964 के नियम 6 के उपबंध 2ए में भी संशोधन किया गया है। इसके अनुसार, गौ अभ्यारण्य स्थापित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को 20 वर्ष की अवधि के लिए 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुछ नियमों और शर्तों पर भूमि पट्टे पर देने का प्रावधान किया गया है।

बैठक में यह भी मंजूरी दी गई कि ग्राम पंचायत अपने स्तर पर 250 एकड़ तक की भूमि की भूमि उपयोग योजना तैयार कर सकेगी। इससे पहले यह सीमा 100 एकड़ तक थी। यदि पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा प्लान को तय समयावधि में अनुमति नहीं दी जाती या असहमति होने पर ग्राम पंचायत उपयुक्त निर्णय के लिए राज्य सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

आज जिला जींद के जुलाना उपमंडल गांव सिरसा खेड़ी में आत्म निर्भर भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। कार्यक्रम के बाद मेडी असे बातचीत करते हुए श्री कार्तिकेय ने बताया -

जी एस टी सुधारों का जिक्र करते हुए श्री कार्तिकेय ने कहा कि इस समय बचत उत्सव चल रहा है जिससे आमजन को लाभ मिल रहा है।

मीडिया द्वारा आई पी एस अधिकारी स्वर्गीय पूरन कुमार के मामले की जांच बारे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मामले में न्याय होगा कानून सभी के लिए एक समान है।

हरियाणा के अंबाला और कैथल सहित आठ जिलों में आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई जो 14 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के पहले दिन आज सभी गांवों व शहरों के सभी वार्डों में प्रमुख स्थानों , स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाडी केन्द्रों और स्कूलों में बनाए गए पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाई गईं।

कैथल से हमारे संवाददाता ने बताया कि कलायत उपमण्डल नागरिक अस्पताल, में स्थित पोलियो बूथ से सिविल सर्जन डा० रेनू चावला ने बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की।

झुगगी झोपड़ी, भट्टे, निर्माणाधीन भवनों, बस अड्डे व रेलवे स्टेशन पर पोलियो रोधी दवाई पिलाने के लिये मोबाइल टीमें लगाई गई।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित टीमें कल व परसों घर घर जाकर छूट गए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलायेंगी।

पलवल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष का प्रबंधन करने वाले किसानों को आज जागरूक किया गया। सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार ने बताया कि जिला पलवल के होडल, हथीन, हसनपुर व पलवल खंडों के विभिन्न गांवों में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान आयोजित किए गए हैं।

विभाग के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।
आकाशवाणी समाचार ने खेतों में जाकर किसानों से बातचीत की।
